न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 16/2023

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1. मनमोहन धनपतराय सैनी पुत्र धनपतराय सैनी जाति सैनीसिख निवासी 23 एच, हाल निवासी 3 नरूला बिल्डिंग 21 वां रोड, चेबूर ईस्ट, डॉक्टर बा. अंबेडकर गार्डन जवल मुंबई महाराष्ट्र- 400071		1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू:- 24.01.2023

उपस्थितः 1.श्री पलविन्द्र सिंह, इन्द्राज सेजू अधिवक्ता वादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

--निर्णय-- दिनांक : 07.06.2023

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम चक 23 एच, पटवार हल्का दलपतसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076-79 के खाता संख्या 52/42 में मुरब्बा नं0 17 में कुल 6.197 हैक्टर नहरी कृषि भूमि राजस्व अभिलेख में काश्तकार की हैसियत से वादी स्वयं, उसकी माता व भाई के नाम से अभिलेखित है। उक्त वर्णित समस्त कृषि भूमि वादी व उसके परिवार को विरास्तन प्राप्त भूमि है, जिसमें क्रमांक संख्या 1 पर नवनीत राम, 2 पर मनोहर राम, 3 श्रीमती कृष्णा नाम अंकित है, लेकिन पहचान संबंधी दस्तावेज में वादी स्वयं का नाम मनमोहन धनपतराय सैनी पुत्र धनपतराय सैनी, वादी के भाई का नाम नवनीतराय धनपतराय सैनी पुत्र धनपतराय सैनी एवं वादी की माता कृष्णाकुमारी धनपतराय सैनी पत्नी धनपतराय सैनी अंकित है। वादी स्वयं, उसकी माता व भाई के पहचान संबंधित दस्तावेज आधार कार्ड व पासपोर्ट अन्य दस्तावेजो में नाम की भिन्नता है, जिस कारण वादी व उसके परिवार को हर समय भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता रहा है। कृषि भूमि को हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण वादी व उसका परिवार अपना वास्तविक मुताबिक दस्तावेजो के आधर पर संशोधित करवाने हेतु घोषणात्मक अनुतोष का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा है। वर्तमान में अनुदान/ऋण संबंधित आवेदन पत्र [illegible] जाता है, उसके पश्चात ही ऑनलाईन हो चुके है, जिनका दस्तावेजो के अनुरूप [illegible] इस कारण विभिन्न [illegible] झूजना अनुदान/ऋण स्वीकृत करना अनिवार्य कर दिया है। [illegible] पड़ रहा है। इसलिए भी उक्त संशोधन करवाने हेतु [illegible] माननीय न्यायालय [illegible] प्रस्तुत कर उक्त आशय के संशोधन हेतु घोषणा करवा रहा है। [illegible] पत्र प्रस्तुत [illegible] क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः [illegible] [illegible] है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर चक 23 एच, पटवार हल्का दलपतसिंहपुर, [illegible] श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076-79 के खाता संख्या 52/42 में मुरब्बा नं0 17

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.09.06 12:28:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

में कुल 6.197 हेक्टर नहरी कृषि भूमि में क्रमांक संख्या 1 पर दर्ज नाम नवनीतराम पुत्र धनपतराय के स्थान नवनीतराय धनपतराय सैनी पुत्र धनपतराय सैनी, 2 पर दर्ज नाम मनोहर राम पुत्र धनपतराय के स्थान पर मनमोहन धनपतराय सैनी पुत्र धनपतराय सैनी व क्रमांक संख्या 3 पर दर्ज नाम श्रीमती कृष्णा पत्नी धनपतराय के स्थान पर कृष्णाकुमारी धनपतराय सैनी पत्नी धनपतराय सैनी घोषित कर, डिक्री पारित की जावे एवं उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में नाम संशोधित करने के आदेश तहसीलदार राजस्व, श्रीकरणपुर को दिये जावे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 670 दिनांक 01.03.2023 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक चक 23 एच की जमाबन्दी के खाता संख्या 52/42 में 6.197 हेक्टैयर भूमि नवनीत राम, मनोहर राम पिसरान धनपत राय, श्रीमती कृष्णा पत्नी धनपतराय जाति सैनी बहिस्सा बराबर दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त नाम जरिये ईन्तकाल संख्या 61 से दर्ज हुआ। जिसमें उक्त खातेदारान के नाम जरिये विरास्तन ईन्तकाल क्रमशः नवनीत राय, मनोहर राय पिसरान धनपत राय, श्रीमती कृष्णा पत्नी धनपत राय जाति सैनी बहिबराबर दर्ज रिकॉर्ड हुआ, जो आज रिकॉर्ड में नवनीतराय का नवनीतराम, मनोहरराय का मनोहर राम व श्रीमती कृष्णा का श्रीमती कृष्णा रिकॉर्ड दर्ज है। पूछताछ करने पर बताया कि उक्त खातेदारान पिछले कई वर्षो से गांव छोडकर मुम्बई महाराष्ट्र में रहने लगे है। साक्ष्यवादी में वादी के द्वारा न्यायालय में स्वंय उपस्थित आकर शपथ पत्र बाबत साक्ष्य पेश किए। सामिल मिसल किए गए।

बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादी, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम चक 23 एच, पटवार हल्का दलपतसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076-79 के खाता संख्या 52/42 की प्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, पासपोर्ट की छायाप्रति, पेन कार्ड, के अवलोकन से स्पष्ट है। वादी द्वारा राजस्व ग्राम चक 23 एच, पटवार हल्का दलपतसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076-79 के खाता संख्या 52/42 में क्रम संख्या 1 पर अंकित नाम नवनीतराम पुत्र धनपतराय के स्थान पर नवनीत धनपतराय सैनी पुत्र धनपतराय सैनी व क्रम संख्या 2 पर अंकित नाम मनोहरराम पुत्र धनपतराय के स्थान पर मनमोहन धनपतराय सैनी पुत्र धनपतराय सैनी तथा क्रम संख्या 3 पर अंकित नाम श्रीमती कृष्णा पत्नी धनपतराय के स्थान पर श्रीमती कृष्णाकुमारी ध[illegible] पत्नी धनपतराय सैनी दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया [illegible] दस्तावेजात में नाम नवनीतराय धनपतराय सैनी पुत्र धनपतरा[illegible] सैनी पुत्र धनपतराय सैनी, श्रीमती कृष्णाकुमारी धनपतराय सै[illegible] है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार चक 23 एच की जमाबन्दी के खाता संख्या 52/42 में 6.197 हेक्टैयर भूमि नवनीत राम, मनोहर राम पिसरान धनपत राय, श्रीमती कृष्णा पत्नी धनपतराय जाति सैनी बहिस्सा बराबर दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त नाम जरिये ईन्तकाल संख्या 61 से [illegible] हुआ। जिसमें उक्त खातेदारान के नाम जरिये विरास्तन ईन्तकाल क्रमशः नवनीत राय,

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.09.06 12:28:32 IST
Reason: SelfAttested

मनोहर राय पिसरान धनपत राय, श्रीमती कृष्णा पत्नी धनपत राय जाति सैनी बहिबराबर दर्ज रिकॉर्ड हुआ, जो आज रिकॉर्ड में नवनीतराय का नवनीतराम, मनोहरराय का मनोहर राम व श्रीमती कृष्णा का श्रीमती कृष्णा रिकॉर्ड दर्ज है। पूछताछ करने पर बताया कि उक्त खातेदारान पिछले कई वर्षो से गांव छोडकर मुम्बई महाराष्ट्र में रहने लगे है। अतः वाद पत्र वादी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादी के द्वारा प्रस्तुत पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात, शपथ पत्र, के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम चक 23 एच, पटवार हल्का दलपतसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076-79 के खाता संख्या 52/42 में क्रम संख्या 1 पर अंकित नाम नवनीतराम पुत्र धनपतराय के स्थान पर नवनीत धनपतराय सैनी पुत्र धनपतराय सैनी व क्रम संख्या 2 पर अंकित नाम मनोहरराम पुत्र धनपतराय के स्थान पर मनमोहन धनपतराय सैनी पुत्र धनपतराय सैनी तथा क्रम संख्या 3 पर अंकित नाम श्रीमती कृष्णा पत्नी धनपतराय के स्थान पर श्रीमती कृष्णाकुमारी धनपतराय सैनी पत्नी धनपतराय सैनी दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

निर्णय आज दिनांक 07.06.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर प्रशासन गांवो के संग अभियान-2023, ग्राम पंचायत 46 एफ मौडा में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.09.06 12:28:32 IST
Reason: SelfAttested

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

मनमोहन धनपतराय सैनी बनाम राजस्थान सरकार

धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट मुकदमा नम्बर 16/2023

निर्णय दिनांक :- 07.06.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह, इन्द्राज सेजू उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम चक 23 एच, पटवार हल्का दलपतसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076-79 के खाता संख्या 52/42 में क्रम संख्या 1 पर अंकित नाम नवनीतराम पुत्र धनपतराय के स्थान पर नवनीत धनपतराय सैनी पुत्र धनपतराय सैनी व क्रम संख्या 2 पर अंकित नाम मनोहरराम पुत्र धनपतराय के स्थान पर मनमोहन धनपतराय सैनी पुत्र धनपतराय सैनी तथा क्रम संख्या 3 पर अंकित नाम श्रीमती कृष्णा पत्नी धनपतराय के स्थान पर श्रीमती कृष्णाकुमारी धनपतराय सैनी पत्नी धनपतराय सैनी दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 07.06.2023 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	04	00	योग	00	00

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

दिनांक: 07.06.2023

क्रमांकः रीडर/ 2023/298

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त [illegible] नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करें।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.09.06 12:28:32 IST
Reason: SelfAttested